(215)

अध्यक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,

सर्किट कोर्ट रीवा

नि. 2953/II/15

श्री अरशद उल्ला सिद्दीकी
ए. द्वारा पेश 19-8-15

COURT FEE 20 Rs INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

339
19.8.15

शमसेर अली खान पिता आशिक अली खान उम्र–65 वर्ष निवासी ग्राम शिकरा तहसील मझौली जिला सीधी (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

राममिलन पिता शिव प्रसाद नाई साकिन सिकरा उप तहसील मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी (म0प्र0) ....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 18.06.2015 तहसीलदार उप तहसील मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0 के प्रकरण क्र0 37 अ/12/2009–10

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

01. यह कि तहसीलदार उप तहसील मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2015 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी योग्य है।

02. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत जिन भूमियों के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसके सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक मझौली द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लेख किया है कि आराजी खसरा नं0 2262 के अंश रकवा 0.15 हे0 खसरा नं0 2271 के अंश रकवा 0.15 हे0, व खसरा नं0 2270 के सम्पूर्ण रकवा 0.18 हे0 पर निगराकार काबिज कास्त है, मौके पर निगराकार द्वारा पुराना खसरा व नक्शा लिखित आपत्ति के साथ प्रस्तुत किया गया जिसका मिलान नवीन अभिलेख से करने पर रा0नि0 ने यह पाया था कि पुरानी आराजियात के मुताबिक स्थल कब्जा एवं नवीन बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार निर्मित नक्शा के स्थल कब्जा में विसंगत है तदानुसार आपत्ति सहित प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में गुण–दोष पर आदेश पारित करने के वजाए अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0R.2953–II/16 जिला–सीधी

शमसेर अली खान/राममिलन नाई

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	